



प्र.क. R PBR/17

प्रस्तुति दिनांक : 14/11/2017

न्यायालय माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

प्रवीणदास पिता श्री रामेश्वरदास बैरागी,
निवासी - ग्राम दसई तहसील सरदारपुर
जिला धार म.प्र.

PBR/निगरानी/धार/शुद्ध/2017/4425

- प्रार्थी / आवेदक

विरुद्ध

- प्रतिप्रार्थी / अनावेदक

श्री. अ. अ. अ.
दि. 14-11-17

म.प्र. शासन
राजस्व मण्डल
दि. 16-11-17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

श्री. अ. अ. अ.
दि. 14-11-17
(1)

अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील सरदारपुर जिला धार द्वारा रा.प्र.क. 167/अ-68/2016-17 में पारित प्रोसीडिंग आदेश दिनांक 10.11.2017 से व्यथित व असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्र

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/17/4425

[प्रवीण दास / शासन]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
2-7-18	<p>उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। नायब तहसीलदार सरदारपुर जिला धार के अभिलेख का तथा आदेश पत्रिका दिनांक 10-11-2017 का प्रस्तुत तर्कों के तारतम्य में अवलोकन किया गया, जिसके विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। नायब तहसीलदार की आदेश पत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आदेश पत्रिका में अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर वकीलपत्र पेश किया तथा प्रकरण संहिता की धारा 248 के सूचना पत्र के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया जिस पर आवेदक की ओर से जबाव हेतु प्रकरण नियत किया गया है। नायब तहसीलदार की अंतरिम आदेश पत्रिका में ऐसा कोई आधार नहीं है, जिससे यह निगरानी सुनवाई हेतु ग्राह्य की जा सके। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्रग्राह्य की जाती है।</p>	<p>अध्यक्ष</p>